उत्तराखण्ड विधान सभा

उत्तराखण्ड विधान सभा
की कार्यसूची

मंगलवार, 02 चैत्र, शक संवत्, 1932

(दिनांक : 23 मार्च, 2010)

समय : 11 : 00 बजे पूर्वाह्न

1. अल्पसूचित प्रश्न (देखिए नत्थी **"क"**)।
2. अन्य प्रश्न (देखिए नत्थी **"ख"**)।
3. निधन के निदेश।
4. सदस्यों की गिरफ्तारी, निरोध व रिहाई की सूचनायें, यदि कोई हों।
5. विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न, यदि कोई हों।
6. नियम 315 के खण्ड (13) व (14) के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।
7. मंत्रियों द्वारा विविध वक्तव्य, यदि कोई हों।
8. उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 2005 के नियम-315 के खण्ड (22) के अन्तर्गत मा0 अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।

(कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशों के लिए देखिए नत्थी-**"ग"**)

9. कार्यस्थगन का प्रस्ताव, यदि कोई हो।
10. वित्तीय वर्ष 2010-2011 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा।
11. वित्तीय वर्ष 2010-2011 के आय-व्ययक की अनुदान मांगों पर चर्चा एवं मतदान :-

(1) मुख्यमंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-23, उद्योग विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रूपये 589011 हजार (रूपये अठ्ठावन करोड़ नब्बे लाख ग्यारह हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(घ)**)

(2) परिवहन मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-24, परिवहन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रूपये 539885 हजार (रूपये तिरपन करोड़ अठ्ठानवे लाख पचासी हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(घ)**)

(3) सहकारिता मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-18, सहकारिता विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रूपये 380711 हजार (रूपये अड़तीस करोड़ सात लाख ग्यारह हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(घ)**)

(4) सिंचाई मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-20, सिंचाई एवं बाढ़ विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रूपये 6929342 हजार (रूपये छः सौ बयानवे करोड़ तिरानवे लाख बयालिस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(घ)**)

(5) मुख्यमंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-15, कल्याण योजनाओं के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रूपये 3816737 हजार (रूपये तीन सौ इक्यासी करोड़ सरसठ लाख सैंतीस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(घ)**)

(6) मुख्यमंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-30, अनुसूचित जातियों का कल्याण के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रूपये 6589650 हजार (रूपये छः सौ अठ्ठावन करोड़ छियानवे लाख पचास हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(घ)**)

(7) मुख्यमंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-31, अनुसूचित जनजातियों का कल्याण के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रूपये 1972487 हजार (रूपये एक सौ सतानवे करोड़ चौबीस लाख सतासी हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(घ)**)

12. वित्तीय वर्ष 2007-08 व 2008-09 में स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के तहत प्रदेश को स्वीकृत धनराशि में से खर्च की गयी धनराशि विषयक दिनांक 09 मार्च, 2010 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-01 के संबंध में श्री सुरेन्द्र राकेश, सदस्य विधान सभा द्वारा दी गई सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत आधे घण्टे की चर्चा।

13. गन्ने की फसल पर तौल के दौरान 1½ % (डेढ़ प्रतिशत) काटी जा रही कटौती विषयक दिनांक 10 मार्च, 2010 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-13 के संबंध में कुंवर प्रणव सिंह 'चैम्पियन', सदस्य विधान सभा द्वारा दी गई सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत आधे घण्टे की चर्चा।

14. नियम 53 के अन्तर्गत सूचनाएं, यदि कोई हों।

15. जनपद बागेश्वर के विकास खण्ड कपकोट में शिक्षक विहीन विद्यालयों में प्रभावित हो रहे शिक्षण कार्य के संबंध में श्री शेर सिंह गढ़िया, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 19 मार्च, 2010 को दी गई सूचना पर, शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) का नियम-53 के अन्तर्गत वक्तव्य।

16. उत्तराखण्ड लोक पुस्तकालय अधिनियमानुसार ब्लाक, जिला एवं राज्य स्तर पर पुस्ताकाध्यक्ष, सहायक पुस्तकाध्यक्ष तथा सूचीकार के रिक्त पदों पर बी0लिब0, एम0लिब0 डिग्रीधारी छात्र/छात्राओं को नियुक्ति दिये जाने के संबंध में श्री पुष्पेश त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 19 मार्च, 2010 को नियम-53 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर, शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) का केवल वक्तव्य।

आज्ञा से,

देहरादून :
दिनांक : 23 मार्च, 2010

(महेश चन्द्र)
प्रमुख सचिव।

प्रथम सत्र, 2010
का द्वितीय मंगलवार

उत्तराखण्ड विधान सभा

उत्तराखण्ड विधान सभा
की कार्यसूची

मंगलवार, 02 चैत्र, शक संवत्, 1932

(दिनांक : 23 मार्च, 2010)

नत्थी "क"

अल्पसूचित प्रश्न

कुंवर प्रणव सिंह "चैम्पियन" ** 10.03.2010 — श्रम

क्या श्रम मंत्री अवगत हैं कि केन्द्रीय श्रम मंत्रालय के अधीनस्थ कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ई0एस0आई0सी0) द्वारा रू0 800 करोड़ लागत के एक उच्च श्रेणी मेडिकल कालेज को रूड़की अथवा हरिद्वार में मात्र भूमि अनुलपब्धता के कारण नहीं खोला जा सका है? क्या यह सत्य है कि भारत सरकार के सचिव (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय) के मुख्य सचिव उत्तराखण्ड को प्रेषित पत्र D.O. No. LS /ms /SS /ESIC /UK /2/2010, 4 फरवरी, 2010 के पत्र द्वारा अस्पताल हेतु मात्र 35 एकड़ भूमि उपलब्ध किए जाने का अनुरोध किया गया है? यदि हां, तो क्या सिड़कुल (हरिद्वार) अथवा रूड़की म्युनिसिपल्टी में भूमि उपलब्ध्ता सुनिश्चित की जाएगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

नत्थी "ख"

तारांकित प्रश्न

श्री जोत सिंह गुनसोला 04.02.2010	*1. क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि नगरीय क्षेत्र में पेयजल की पम्पिंग योजनाओं पर प्रति 1000 लीटर पानी प्राप्त करने में कुल कितना व्यय आता है तथा सरकार उपभोक्ताओं से प्रति 1000 लीटर पर कुल कितना मूल्य प्राप्त करती है? क्या सरकार नगरीय क्षेत्रों में ग्रेविटी पाइप लाईन द्वारा दिये जाने वाले पानी का मूल्य पम्पिंग के बराबर किये जाने पर विचार करेंगी?	पेयजल
श्री जोत सिंह गुनसोला 04.02.2010	*2. क्या पुनर्गठन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखण्ड राज्य के बीच किन–किन विभागों के अन्तर्गत सम्पत्ति व अधिकारियों/कर्मचारियों का अन्तिम आवंटन हो चुका है? यदि नहीं, तो सरकार इसके लिए क्या कार्यवाही कर रही है?	पुनर्गठन
श्री मयूख महर 16.02.2010	*3. क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार द्वारा जनपद पिथौरागढ़ के अस्कोट कस्बे में भूमिगत खनन की अनुमति प्रदान की जा रही है? यदि हां, तो क्या खनन अनुमति प्रदान करने से पूर्व उक्त क्षेत्र में बसे अस्कोट क्षेत्र के नागरिकों की परिसम्पत्तियों तथा पेयजल सड़क मार्ग की सुरक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित की गयी है? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?	औद्योगिक विकास
श्री किशोर उपाध्याय 17.02.2010 काजी निजामुद्दीन 18.02.2010 श्री प्रीतम सिंह 22.02.2010	*4. क्या सिंचाई मंत्री अवगत हैं कि उत्तराखण्ड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ अपनी 19 सूत्री मांगों को लेकर विगत 9 फरवरी, 2010 से क्रमिक अनशन पर हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उनकी 19 सूत्री मांगों पर विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	सिंचाई
श्री किशोर उपाध्याय **18.02.2010**	*5. **एक से अधिक विभाग होने के आधार पर निरस्त।**	सिंचाई
श्री गणेश जोशी 18.02.2010	*6. क्या औद्योगिक विकास मंत्री अवगत हैं कि आई0टी0 क्षेत्र को बढ़ावा देने एवं स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने के उद्देश्य से देहरादून में सहस्त्रधारा रोड़ पर आई0टी0 पार्क की स्थापना की गयी थी? यदि हां, तो अब तक यहां पर कितने उद्योग स्थापित किये गये और कितने स्थानीय लोगों को रोजगार दिया गया? यदि नहीं, तो क्यों?	औद्योगिक विकास

श्री प्रीतम सिंह
18.02.2010
श्री महेन्द्र सिंह माहरा
18.02.2010

*7. क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में सरकार द्वारा दायित्वधारियों के लिये सरकारी गाड़ी के टाप पर लाल बत्ती लगाने का प्राविधान किया गया है? यदि हां, तो किस स्तर के दायित्वधारियों के लिये? यदि नहीं, तो क्यों?

परिवहन

श्री खड़क सिंह बोहरा
18.02.2010

*8. क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड राज्य में भूमिगत जल संरक्षण की कोई नीति न होने के कारण क्या सरकार भूमिगत जल के हो रहे दुरूपयोग को देखते हुए भूमिगत जल संरक्षण के लिए ग्राउण्डवाटर कन्ट्रोल एवं रेगुलेशन एक्ट लाने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

पेयजल

श्री करन मेहरा
19.02.2010

*9. क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत नगरीय क्षेत्र रानीखेत में गगांस पम्पिंग योजना के बार–बार खराब होने के कारण वहां के नागरिकों को अत्यन्त कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है? यदि हां, तो सरकार रानीखेत की पेयजल योजना हेतु अविलम्ब कोई कदम उठाने जा रही है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

पेयजल

अतारांकित प्रश्न

श्री गणेश जोशी
11.02.2010

1. क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि जनपद देहरादून के अन्तर्गत घंघोड़ा चांदमारी पेयजल योजना का पुर्नगठन का प्रस्ताव वर्ष 2002 से लम्बित है? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा उक्त योजना हेतु कोई कार्यवाही की गयी है? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

पेयजल

श्री गणेश जोशी
11.02.2010

2. क्या परिवहन मंत्री अवगत हैं कि ग्राम पंचायत खैरी मानसिंह के अन्तर्गत देहरादून से मालदेवता, पी0सी0एल0 के लिए रायपुर रूट पर प्राइवेट बसों का संचालन कतिपय चुनिन्दा बस संचालकों द्वारा किया जा रहा है? क्या यह सत्य है कि इन बस संचालकों द्वारा उक्त रूट पर बस का नियमित संचालन नही कराया जाता जिससे स्कूली बच्चों/कर्मचारियों एवं क्षेत्रवासियों को 15–20 किलोमीटर पैदल का सफर तय करना पड़ता हैं? यदि हां, तो क्या सरकार ग्राम पंचायत खैरी मानसिंह, थेवा मालदेवता, अस्थल, सेरकी, सरखेत, टिमली मानसिंह आदि गांवों को जाने के लिए देहरादून से मालदेवता, पी0पी0सी0एल0 हेतु नियमित नगर बस सेवा संचालन वर्तमान में प्रेमनगर से रायपुर बसे सेवा को मालदेवता, पी0पी0सी0एल0 तक बढ़ाने पर विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

परिवहन

श्रीमती अमृता रावत 11.02.2010	**3.** क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत गौरा देवी कन्याधन योजना से लाभान्वित हेतु वर्ष 2006–2007 से वर्ष 2009–10 तक प्राप्त आवेदन पत्रों तथा लाभार्थियों का वर्ष वार विवरण क्या है और योजना से लाभान्वित होने की प्रत्याशा में कितने आवेदन कब–कब से लम्बित है? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि इन अवशेष आवेदन कर्ताओं को गौरा देवी कन्याधन योजना से कब तक लाभान्वित किया जायेगा?	**समाज कल्याण**
श्रीमती अमृता रावत 11.02.2010	**4. विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त।**	**पेयजल**
श्री गणेश जोशी 15.02.2010	**5.** क्या परिवहन मंत्री अवगत हैं कि जनपद देहरादून के अन्तर्गत ग्राम पंचायत गजियावाला, गल्जवाड़ी, गंगोल, पंडितवाड़ी, इन्द्रानगर, बिष्टगांव, भारतवाला, सीगली, रिखौली, भितरली खेड़ा, गोपीवाला आदि ग्रामों में यातायात की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है? क्या यह सत्य है कि उपरोक्त क्षेत्र के लोगों को देहरादून शहर आने के लिए 15–20 किलोमीटर पैदल का सफर तय करना पड़ता हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त मार्गों पर परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने पर विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	**परिवहन**
श्री ओम गोपाल रावत 15.02.2010	**6.** क्या श्रम मंत्री अवगत हैं कि आई0टी0आई0 थत्यूड़ व आई0टी0आई0 नैनबाग में कौन–कौन से व्यवसायिक पाठ्यक्रम संचालित हो रहे हैं, और कौन–कौन से व्यवसायिक पाठ्यक्रम में अनुदेशक के पद उपलब्ध नहीं हैं, और कौन–कौन से व्यवसायिक पाठ्यक्रम में अनुदेशक के पद उपलब्ध हैं? क्या मंत्री जी छात्र/छात्राओं के भविष्य को दृष्टिगत रखते हुये रिक्त अनुदेशकों के पदों पर नियुक्ति की स्वीकृति प्रदान करेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	**श्रम**
श्री ओम गोपाल रावत 15.02.2010	**7.** क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड थौलधार के अन्तर्गत कटखेत पेयजल योजना की स्वीकृति प्रदान करेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	**पेयजल**
श्री सुरेन्द्र सिंह जीना 16.02.2010	**8.** क्या सिंचाई मंत्री अवगत हैं कि राज्य में बहने वाली नदियों के जलस्राव की कमी को रोकने के लिये महामहिम राज्यपाल द्वारा विगत वर्ष अपने अभिभाषण में नदियों में निरंतर एक सा जलप्रवाह बनाये रखने हेतु नदी, नालों पर छोटी–छोटी झील या डैम बनाकर पानी को रोकने की योजना रखी थी? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में इसके अन्तर्गत किन–किन नदियों, नालों व गधेरों में डैम या झील बनाकर जलप्रवाह को बढ़ाया गया हैं? क्या सरकार जनपद अल्मोड़ा के भिक्यासैण विधान सभा क्षेत्र में ऐसी कोई योजना बनाये जाने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	**सिंचाई**

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना 16.02.2010	**9.** क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में आय प्रमाण पत्र के आधार पर वृद्धावस्था, विधवा भरण पोषण व विकंलाग पेंशन की निर्धारित आयु क्या हैं? क्या 65 वर्ष की आयु वर्ग से अधिक के आवेदकों को पेंशन अनुमन्य हैं? यदि नहीं, तो क्या सरकार 65 वर्ष से अधिक आयु के आवेदकों को वृद्धावस्था पेंशन देने पर विचार करेंगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	**समाज कल्याण**
श्रीमती अमृता रावत 16.02.2010	**10.** क्या परिवहन मंत्री अवगत हैं कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के स्थान चौबट्टाखाल स्थित तहसील तक प्रातः आने तथा सांय जाने के लिए पोखड़ा से कोई बस सेवा संचालित नहीं है जिसके कारण ग्रामीणों को काफी कठिनाईयों से जूझना पड़ रहा हैं? यदि हां, तो क्या सरकार चौबट्टाखाल स्थित तहसील आने तथा सांय पोखड़ा की और जाने के लिए अतिरिक्त बस सेवा संचालित किये जाने पर विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक?	**परिवहन**
श्री खड़क सिंह बोहरा 17.02.2010	**11.** क्या परिवहन मंत्री अवगत हैं कि नैनीताल जनपद के अन्तर्गत हल्द्वानी–रामनगर मोटर मार्ग में चकलुवा–देवीपुरा–कालाढुंगी बाईपास मोटर मार्ग पर बस सेवाएं संचालन करने की मांग ग्रामीण वर्षों से करते आ रहें हैं? क्या जनता की मांग पर परिवहन विभाग ने इस मार्ग पर चलने वाली प्राईवेट बसों के परमिटों में अंकन किया है, कि बसें चकलुवा–देवीपुरा–कालाढुंगी बाईपास मार्ग से ही चलेंगी? यदि हां, तो क्या बाईपास मार्ग पर बसों का संचालन हो रहा है? यदि नहीं, तो क्यों और क्या परिवहन विभाग ने इन बस संचालकों के विरूद्ध कोई कार्यवाही की है?	**परिवहन**
श्रीमती अमृता रावत 17.02.2010	**12.** क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत मोटर मार्गों के निर्माण/विस्तार अथवा डामरीकरण से क्षतिग्रस्त ऐसी पेयजल योजनाओं का विवरण क्या है जिनका अभी तक जीर्णोद्धार/अनुरक्षण नहीं हो पाया है और जिन योजनाओं से जलापूर्ति लगभग बन्द चली आ रही है? इन योजनाओं के क्षतिग्रस्त होने की तिथि क्या है तथा इनकी मरम्मत/जीर्णोद्वार किए जाने के सम्बन्ध में अब तक किए गए प्रयासों का विवरण क्या है तथा कब तक इन योजनाओं से जलापूर्ति प्रारम्भ कर दी जायेगी?	**पेयजल**
श्री गणेश जोशी 17.02.2010	**13.** क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि राजपुर विधान सभा क्षेत्र के नीलकण्ठ बिहार, आर्यनगर, मानसिंहवाला, तल्ला सालावाला में सीवर व्यवस्था नहीं हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में सीवर लाईन बिछाये जाने हेतु कोई योजना बनाये जाने पर विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	**पेयजल**

कुंवर प्रणव सिंह 'चैम्पियन' 17.02.2010	**14.** क्या समाज कल्याण मंत्री अवगत हैं कि विश्व विख्यात धार्मिक स्थल **पिरान कलियर दरगाह शरीफ** (जनपद हरिद्वार) में विश्व के विभिन्न राष्ट्रों से आने वाले जायरीन धर्मावलम्बियों की सुविधा हेतु ''हज हाऊस'' का निर्माण विगत् सरकार द्वारा प्रारम्भ कराया गया था? यदि हां, तो क्या सत्य है कि वर्तमान सरकार द्वारा उक्त भवन के निर्माण को रोक दिया गया है? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि उक्त भवन के निर्माण को कब स्वीकृति प्रदान कर कब निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया था तथा लागत हेतु स्वीकृत की गई धनराशि का कितना धन अब तक निर्माण में व्यय किया जा चुका है तथा कितनी भूमि उक्त परिसर के निर्माणार्थ उपयोग में लाई जाएगी? क्या मंत्री जी उक्त स्थल पर परिसर निर्माण कार्य रूकवाए जाने के कारण स्पष्ट करेंगे तथा कब तक उक्त स्थान पर निर्माण कार्य पूरा कराएगी? यदि नहीं, तो क्यों?	**समाज कल्याण**
श्री पुष्पेश त्रिपाठी 17.02.2010	**15.** क्या खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि दिनांक 27 जुलाई, 2009 को विभाग द्वारा अपने कर्मचारियों की डी0पी0सी0/पदोन्नति करायी गयी थी? यदि हां, तो किन–किन कर्मचारियों की? क्या इन कर्मचारियों को पदोन्नति आदेश की प्रति प्राप्त कर दी गयी है? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?	**खादी एवं ग्रामोद्योग**
श्री गोपाल सिंह राणा 17.02.2010	**16.** क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अनुसूचित जाति के छात्रों को उनके अभिभावकों की अधिक से अधिक कितनी मासिक एवं वार्षिक आय पर छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है? क्या सरकार उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु उनके अभिभावकों की आय की सीमा बढ़ाने पर विचार कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?	**समाज कल्याण**
श्री गोपाल सिंह राणा 17.02.2010	**17.** क्या समाज कल्याण मंत्री अवगत हैं कि जनपद देहरादून के विकास नगर में अनुसूचित जाति, जनजाति सहकारी संघ विकास नगर जनपद देहरादून में पूर्व से कार्यरत सचिव सेवा निवृत्ति के उपरान्त भी उक्त संघ में कार्यरत हैं? क्या सरकार द्वारा उन्हें सेवा विस्तार दिया गया है? यदि नहीं, तो उक्त को अभी तक कार्य मुक्त न किये जाने के क्या कारण है? क्या सरकार उन्हें तत्काल कार्य मुक्त करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?	**समाज कल्याण**
श्री गणेश जोशी 18.02.2010	**18.** क्या सिंचाई मंत्री अवगत हैं कि जनपद देहरादून की बिन्दाल एवं रिस्पना नदी में बरसात में अधिक पानी आने से आस–पास की भूमि का कटाव हो जाता है? यदि हां, तो सरकार बिन्दाल एवं रिस्पना नदी के किनारे चैक डैम एवं जाल/पुश्ता लगाये जाने हेतु कोई बृहद योजना बनाये जाने पर विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	**सिंचाई**

श्री गणेश जोशी 18.02.2010	**19.** क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि मसूरी में पेयजल की आपूर्ति सुचारू रूप से नहीं हो पाती है? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि पूरे मसूरी क्षेत्र को आज भी उतना पानी उपलब्ध कराया जाता है जो राज्य निर्माण से पूर्व उपलब्ध कराया जाता था? यदि हां, तो क्या सरकार मसूरी क्षेत्र के लिए अतिरिक्त पेयजल योजना बनाये जाने पर विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?	**पेयजल**
श्री गणेश जोशी 19.02.2010	**20.** क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि देहरादून जनपद के अन्तर्गत बुरांशखण्डा पेयजल योजना दो–नग डी0जी0सैट के अधिष्ठापन का प्राक्कलन लम्बित है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पेयजल योजना हेतु दो–नग डी0जी0 सैट के अधिष्ठापन पर विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	**पेयजल**
श्री खड़क सिंह बोहरा 19.02.2010	**21.** क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि बौर नदी से जनपद नैनीताल के कालाढूंगी बन्दोबस्ती ग्राम में प्रतिवर्ष हो रहे भारी भू–कटाव एवं आबादी के खतरे को देखते हुए बाढ़ नियंत्रण करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?	**सिंचाई**
श्री हरभजन सिंह चीमा 19.02.2010	**22.** क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद ऊधमसिंह नगर में पिछले एक वर्ष में कितनी सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं तथा दुर्घटनाओं से प्रभावित मृत एवं घायल हुए व्यक्तियों के मासिक आकड़े क्या हैं? क्या सरकार दुर्घटनाओं पर भविष्य में रोक लगाए जाने हेतु कोई उचित कार्यवाही करने जा रही है? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या होगा? यदि नहीं, तो क्यों?	**परिवहन**
श्री महेन्द्र सिंह माहरा 22.02.2010	**23.** क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चम्पावत में एस0सी0पी0/टी0एस0पी0 योजना के अन्तर्गत विगत तीन वर्षो में कितनी धनराशि उपलब्ध करायी गयी? उपलब्ध करायी गयी धनराशि का विभागवार ब्यौरा क्या हैं?	**समाज कल्याण**
श्री महेन्द्र सिंह माहरा 22.02.2010	**24.** क्या श्रम मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चम्पावत के दिगाली चौड एवं बाराकोट में आई0टी0आई0 स्वीकृत किये गये हैं? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों?	**श्रम**
श्री प्रीतम सिंह 08.02.2010	**25.** क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद नैनीताल के अल्चौना में सरकार फ्लोरीकल्चर पार्क एवं प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना किस उद्‌देश्य से की गई? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि जिस उद्‌देश्य से उक्त प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की गई है उसका लाभ प्रदेश के किसानों को मिल रहा है? यदि हां, तो कब से? यदि नहीं, तो क्यों?	**औद्योगिक विकास**

नत्थी ''ग''

<u>कार्यमंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 22 मार्च, की बैठक में दिनांक 23 मार्च से दिनांक 27 मार्च, 2010 तक का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप से रखे जाने की सिफारिश की हैः–</u>

<u>मार्च, 2010</u>
23 (मंगलवार) — 1– वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक पर सामान्य चर्चा।

2– <u>अनुदानवार मांगो का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा एवं मतदान</u>

अनुदान संख्या
- 23 उद्योग विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।
- 24 परिवहन विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।
- 18 सहकारिता विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।

अनुदान संख्या
- 20 सिंचाई, एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग की अनुदान, पर मांग, चर्चा और मतदान।
- 15 कल्याण योजनाओं से सम्बद्ध विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।
- 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण से संबंधित विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।
- 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण से संबंधित विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।

24 (बुद्धवार) — सार्वजनिक अवकाश (रामनवमी)

25 (गुरूवार)
अनुदान संख्या
- 13 जलापूर्ति, आवास एवं शहरी विकास विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।
- 16 श्रम रोजगार विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।
- 05 निर्वाचन विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।

26 (शुक्रवार)
अनुदान संख्या
- 06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन विभाग की अनुदान पर मांग,चर्चा और मतदान।
- 25 खाद्य विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।

अनुदान संख्या
- 08 आबकारी विभाग की अनुदान पर मांग,चर्चा और मतदान।
- 26 पर्यटन विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।

अनुदान संख्या
- 17 कृषि कार्य एवं अनुसंधान विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा एवं मतदान।
- 28 पशुपालन सम्बन्धी कार्य विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा एंव मतदान।
- 29 औद्यानिक एवं रेशम विभाग की अनुदान पर मांग,चर्चा एवं मतदान।

(2) असरकारी कार्य

(क) असरकारी संकल्प

1. श्री पुष्पेश त्रिपाठी, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 27 फरवरी, 2009 को प्रस्तुत निम्न संकल्प पर चर्चा जारी :–

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तराखण्ड प्रदेश की राजधानी चन्द्रनगर (गैरसैंण) घोषित की जाय।"

2. श्री अजय टम्टा सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 24 दिसम्बर, 2009 को प्रस्तुत निम्न संकल्प पर चर्चा जारीः–

"यह माननीय सदन प्रबल सिफारिश करता है कि प्रदेश की विषम भौगोलिक परिस्थिति के दृष्टिगत तथा प्रशासनिक दृष्टि से जन सामान्य को सुविधा प्रदान किये जाने हेतु प्रदेश में वर्तमान विकास खण्डों की संख्या को बढ़ाते हुए नए विकास खण्डों के सृजन पर गंभीरता से विचार किया जाय, विशेषकर जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत मछखाली, मझोड़, जालली, सोमेश्वर नये विकास खण्ड बनाये जाने तथा प्रदेश में लगभग 30 नये विकास खण्डों का निर्माण किए जाने हेतु शीघ्र आवश्यक कार्यवाही की जाय।"

(ख) निम्नलिखित संकल्पों के प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा :–

1. श्री जोत सिंह गुनसोला

"इस सदन का निश्चित मत है कि कूड़े कचरे से सार्वजनिक जीवन पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के निवारण एवं पारिस्थितिकीय सन्तुलन बनाये रखने हेतु प्रदेश के स्थानीय निकायों एवं पंचायतों द्वारा कूड़ा प्रबन्धन एवं उसके अन्तिम निष्पादन हेतु ठोस योजना बनाकर शीघ्र कार्यवाही प्रारम्भ की जाये।"

2. श्री किशोर उपाध्याय

"इस सदन की सर्वसम्मत राय है कि नवगठित प्रदेश उत्तराखण्ड में नदियों से रेता–बजरी के चुगान–भरान पर प्रतिबन्ध के कारण सभी विकासात्मक कार्य रूक गये हैं। रेता–बजरी पत्थर एवं अन्य निर्माण खनिजों पर प्रतिबन्ध के कारण सरकारी, असरकारी एवं निजी निर्माण कार्यो की प्रक्रिया पर दीर्घकालिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। अतः यह सदन सबल संस्तुति करता है कि विकास की प्रक्रिया में निर्माण खनिज सामग्री के अभाव से आ रही बाधा को दूर करने तथा विकासात्मक कार्यो को तीव्र गति प्रदान करने हेतु केन्द्र सरकार से उक्त प्रतिबन्ध को अविलम्ब हटान के लिए आग्रह किया जाय।"

3. श्री करन माहरा

"यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि प्रदेश की रानीखेत विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित छावनी क्षेत्र रानीखेत को नगर पालिका बनाया जाय।"

27 (शनिवार)

अनुदान संख्या	19	ग्राम्य विकास विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।	
अनुदान संख्या	11	शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान	
अनुदान संख्या	01	विधान सभा की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।	विवाद नहीं होगा।
	02	राज्यपाल की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।	–तदैव–
	03	मंत्रिपरिषद की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।	–तदैव–
	04	न्याय प्रशासन विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।	–तदैव–
	07	वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।	–
	09	लोक सेवा आयोग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।	विवाद नहीं होगा।
	10	पुलिस एवं जेल विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।	–
	12	चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।	–
	21	उर्जा विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।	–
	14	सूचना विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।	–
	22	लोक निर्माण विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान	–
	27	वन विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।	–

उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2010 का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन,उस पर विचार एवं पारण।

–

(3) नियम 105 के अन्तर्गत प्रस्ताव :–

(1) श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 24 दिसम्बर, 2009 को प्रस्तुत निम्न प्रस्ताव पर चर्चा जारी :–

"यह सदन केन्द्र सरकार से संस्तुति करता है कि उत्तराखण्ड में जनपद नैनीताल के अन्तर्गत रामनगर से जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत चौखुटिया तक रेलवे लाईन बिछाई जाय ताकि उक्त सुदूर क्षेत्रों का समग्र विकास हो सके।"

(2) श्री जोत सिंह गुनसोला, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 24 दिसम्बर, 2009 को प्रस्तुत निम्न प्रस्ताव पर चर्चा जारी :–

"प्रदेश में पर्यटन की अपार सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए आधुनिक पर्यटन के नये आयाम तलाशे जाएं।"

(3) श्री डा0 हरक सिंह रावत, नेता प्रतिपक्ष, विधान सभा द्वारा दिनांक 24 दिसम्बर, 2009 को प्रस्तुत निम्न प्रस्ताव पर चर्चा जारी :–

"यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि उत्तर प्रदेश व उत्तराखण्ड के सीमावर्ती जनपद बिजनौर के 61 ग्राम पंचायतों को उत्तराखण्ड राज्य में शामिल किया जाय।

नियम 105 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुतिकरण एंव चर्चा :–

1. श्री जोत सिंह गुनसोला — "सरकार प्रदेश में उपलब्ध प्राकृतिक वन सम्पदाओं एवं संसाधनों के वैज्ञानिक दोहन हेतु नीति बनाकर वन सम्पदाओं का उपयोग प्रदेश हित में किये जाने के लिए शीघ्र आवश्यक कार्यवाही करें।"

(4) नियम 54 के अन्तर्गत सूचना :–

निम्नलिखित सूचना का प्रस्तुतिकरण एवं चर्चा :–

1. डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल

"कार्बेट टाइगर रिजर्व एवं उसके आसपास के वन क्षेत्रों में हो रही बाघों की मृत्यु एवं पार्क के वाह्य क्षेत्रों में खुले रिसोर्ट स्थापित होने की सरकार द्वारा कोई स्पष्ट नीति न होने के कारण वन्य जीवों के भविष्य पर हो रहे प्रभाव पर चिन्ता।"

नत्थी 'घ'

वित्तीय वर्ष 2010-11 के आय-व्ययक की धनराशि में कमी करने के प्रस्ताव

अनुदान संख्याः- 23 उद्योग, 24 परिवहन, 18 सहकारिता, 20 सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण, 15 कल्याण योजनायें, 30 स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान, 31 ट्रैवल प्लान

प्रस्तावक का नाम	प्रस्ताव का प्रारूप
क- 1. डा0 हरक सिंह रावत, 2. श्री यशपाल आर्य, 3. श्री प्रीतम सिंह, 4. श्री महेन्द्र सिंह माहरा, 5. श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल, 6. श्रीमती अमृता रावत, 7. श्री दिनेश अग्रवाल, 8. श्री जोत सिंह गुनसोला, 9. श्री रणजीत सिंह रावत, 10. श्री तिलक राज बेहड़, 11. श्री बलवीर सिंह नेगी, 12. श्री किशोर उपाध्याय, 13. श्री गोपाल सिंह राणा, 14. कुंवर प्रणव सिंह "चैम्पियन" 15. डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल, 16. श्री केदार सिंह रावत, 17. श्री राजेश जुवांठा, 18. श्री करन माहरा, 19. श्री मनोज तिवारी, 20. श्री मयूख महर,	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।
ख 1. मौ0 शहजाद, 2. श्री सुरेन्द्र राकेश, 3. हाजी तसलीम अहमद, 4. श्री नारायण पाल, 5. श्री हरिदास, 6. श्री प्रेमानन्द महाजन	-तदैव-